छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 206/2006</u>

श्री नितिन सिंघवी, एम.आई.जी. 59, सेक्टर–1, शंकरनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	प्रतिअपीलार्थी
2. अपीलीय अधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(05 अगस्त 2006)

श्री नितिन सिंघवी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के आदेश दिनांक 9–3–2006 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी नितिन सिंघवी ने जन सूचना अधिकारी, मुख्य अभियंता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग के दिनांक 9–8–2005 को लिखित ब्त्ण्डण्ठण के नोटशीट के पैरा क्रमांक–1 प्त्ब्ए 53 की कंडिका–8 के संबंध में जानकारी चाही थी, जिसमें कि यह उल्लेख किया गया है कि ब्त्ण्डण्ठण का उपयोग उन्हीं मार्गों पर किया जाना है, जहां बहुत अधिक यातायात एवं ओव्हर लोडिंग की संभावना है। अपीलार्थी ने प्त्ब्ए 53 की कंडिका–8 से संबंधित की प्रति एवं प्त्ब्ए 53 की कंडिका–1.1 से संबंधित पृष्ठ की प्रति चाही थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को पत्र दिनांक 17–2–2006 के अनुसार उक्त प्रतिलिपियां प्रदान की गई। अपीलार्थी के द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित कंडिका–2 में उन दस्तावेजोंकी प्रतियां चाही थी, जिसके आधार पर कंडिका–8 में वर्णित भारी यातायात (भ्मंअल ज्तंपिब) को बहुत अधिक यातायात (टमतल भ्पही ज्तंपिब प्दजमदेपजल) बताया गया है। इसके संबंध में जन सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को सूचित किया कि उल्लिखित कोई अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 9–3–2006 के द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त की, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

मेरे द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों के तर्कों को सुना गया। अपीलार्थी का यह तर्क है कि नोटशीट दिनांक 9–8–2005 में ण्त्ब्ण 53 की कंडिका का गलत अर्थ निकालकर टीप लिखी गई है तथा प्रकरण का निराकरण संदिग्ध तरीके से किया गया है। ण्त्ब्ण 53 की कंडिका–8.1 में नोटशीट पर किया गया उल्लेख का प्रावधान मेल नहीं खाते हैं। जन सूचना अधिकारी के द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी ने ण्त्ब्ण 53 की जिन कंडिकाओं की प्रति मांगी थी, वह प्रदान कर दी गई है। उन कंडिकाओं में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में आशय संबंधी मत भिन्नता हो सकती है और इसके निराकरण के लिए आयोग उचित फोरम नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभिलेख को असंबद्ध बताना भी गलत है क्योंकि चाही गई कंडिकाओं की प्रति दी गई है।

प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वांछित अभिलेखों की प्रतियां दी जा चुकी है। उसका हिन्दी अनुवाद यदि टीप लिखते समय मुख्य अभियंता के द्वारा सही रूप में नहीं लिखा गया है, तब आयोग को इस पर विचार करने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थी इस संबंध में निर्णय करने वाले अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी को शिकायत कर सकता है। चूंकि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित अभिलेख की प्रतियां प्रदान कर दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त